	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
?/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी आदेश से पूर्व पूर्व गलत हुऐ तरमीम की प्रमाणित प्रतियां पेश करने का अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है पत्रावली दि० 25/4/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	
25/4/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा दस्तावेज की छाया प्रति पेश की। पत्रावली में वकील वादी से बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 13/05/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	
13/5/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों मे व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 20/5/22 को पेश हो।	
20/05/22	आदेश नहीं लिखा गया। पत्रावली पुनः बहस हेतु दिनांक 27/05/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	
27/05/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों मे व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 30/05/22 को पेश हो।	
30/05/22	पत्रावली आज पेश हुई वकील [illegible] उपस्थित। बहस सुनी गई। [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]। पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 89/2020

प्रार्थी

1. वीरमाराम पुत्र अचलाराम
   जाति कलबी निवासी बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लिछमणाराम पुत्र अचलाराम
   जाति कलबी निवासी बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30/05/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा बांटा पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में मूल खसरा संख्या 282 का आया हुआ है जिसमें समस्त खातेदारों ने भूमि का बंटवारा होकर चार खसरों में विभक्त किया गया, खसरा संख्या 282 रकबा 35–13 बीघा, खसरा संख्या 282/1 रकबा 18–09 बीघा, खसरा संख्या 282/2 रकबा 18–09 बीघा तथा खसरा संख्या 282/3 जो बाद में खसरा संख्या 282 में से रास्ता की तरमीम करते हुए इन्द्राज किया गया है, इस प्रकार नये खसरा बनाये गये तथा लट्ठा ट्रेस में इन्द्राज किया गया। खसरा संख्या 232/3 व खसरा संख्या 378 का कमशः समर्पण राज्य सरकार में रास्ता दूसरा अलग खेत के रूप में तरमीम की गई जो मिसल ... खसरा संख्या 282/1 रकबा 18–09 बीघा, खसरा ... बीघा, खसरा संख्या 282 रकबा 35–13 बी... गये उसकी तरमीम करते वक्त प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 282/1 रकबा 18–09 बीघा के अन्दर करते हुए प्रार्थी की ढाणी खेत खसरा संख्या 282/2 में रखते हुए कर दी गई उक्त खसरों की तरमीम पूरी पूरी वास्तविक स्थान से भिन्न कर दी जिससे प्रार्थी का खसरा की तरमीम कब्जा काश्त के अनुसार नहीं होकर अलग हो गई है। आवेदन के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:17 IST
Reason: SelfAttested